भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4345
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

पारिवारिक न्यायालय

4345. श्री नवसकनी के :
श्री जी.सेल्वम :
श्री सी.एन.अन्नादुरई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में स्थापित पारिवारिक न्यायालयों की वर्तमान संख्या राज्यवार और जिलावार कितनी है ;

(ख) क्या इन तक वादियों की पहुंच में सुधार करने और यात्रा समय को कम करने के लिए पारिवारिक मामलों की अधिकता वाले क्षेत्रों में पारिवारिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ग) क्या सभी पारिवारिक न्यायालय संवेदनशील पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और संसाधनों से लैस हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) पारिवारिक न्यायालयों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, मध्यस्थों और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) वादियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों में अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(च) समय पर न्याय देने में पारिवारिक न्यायालयों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं और मंत्रालय उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित कर रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : 31.10.2024 तक देश में कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध** में है । जिला-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में विवाह, पारिवारिक मामलों और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा सुलह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए राज्य के प्रत्येक क्षेत्र, जिसमें एक शहर या नगर शामिल है, के लिए एक कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करना अनिवार्य है, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है। राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, यदि राज्य सरकारें इसे आवश्यक समझें, तो कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात बार, अन्वेषण एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

(घ) : उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता

करने के लिए आवश्यक परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियों का निर्धारण करें तथा कुटुम्ब न्यायालय को ऐसे परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करें, जिन्हें वे उचित समझें।

(ड.) : सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। अगस्त, 2011 में न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे: प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है। कुटुम्ब न्यायालय भी इन पहलों की परिधि में आते हैं। प्रमुख पहलें नीचे दी गई हैं:

i. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना ढांचे में सुधार: सरकार, 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू कर रही है, ताकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम के अधीन पाँच घटक शामिल हैं, अर्थात, वकीलों और मुवक्किलों की सुविधा के लिए न्यायालय कक्ष, आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के कक्ष, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। जबकि जिला न्यायालयों में अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के लिए संसाधनों की पूर्ति करती है। अब तक, 1993-94 में स्कीम के आरंभ के बाद से 11,583.07 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है । आज की तारीख तक, इस स्कीम के अधीन जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 21,940 न्यायालय कक्ष और 19,660 आवासीय इकाईयां उपलब्ध हैं । वर्तमान में 3,164 न्यायालय कक्ष और 2,619 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

ii. बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना: भारत सरकार का न्याय विभाग ई-कमेटी, भारतीय उच्चतम न्यायालय के साथ निकट समन्वय में भारतीय न्यायपालिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए पूरे देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू कर रहा है। 2023 तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.5% न्यायालय परिसरों को वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर का नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । आज की तारीख में, मुवक्किल इन न्यायालयों से संबंधित मामलों की जानकारी ले सकते है और 28.05 करोड़ आदेशों/निर्णयों तक पहुंच सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे केस पंजीकरण का विवरण, वाद सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-कोर्ट वेब पोर्टल, सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ईमेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवाओं के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1,732 हेल्प डेस्क काउंटरों के हेतु 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कोविड-19 चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने और आभासी सुनवाई को आसान बनाने के उद्देश्य से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1394 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) और उच्च न्यायालयों में 36 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) वकीलों और मुवक्किलों को केस की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी, ई-फाइलिंग सुविधा आदि के लिए नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि सामूहिक मोड में भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालयी कार्यवाही संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन आरंभ होने के पश्चात् से, जिला न्यायालयों ने 2,48,21,789 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 31.10.2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 90,21,629 मामलों (कुल 3.38 करोड़ से अधिक) की सुनवाई की। आभासी सुनवाई की सुविधा के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 28.886 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा परिचालित की गई है।

iii. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना: जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
16.12.2024	25,741	20,479

iv. बकाया समितियों द्वारा/अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से लंबित मामलों में कमी: अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति का गठन किया गया है। अतीत में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के समक्ष इस मामले को उठाया है और उनका ध्यान पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की ओर आकर्षित किया है तथा लंबित मामलों में कमी लाने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा है।

(च) : पारिवारिक न्यायालयों में कार्यवाही में विलंब से तनाव बढ़ता है और लंबी अवधि तक भावनात्मक दबाव रहता है, जिससे समय पर विवाद समाधान में बाधा आती है। न्यायालय के नियमों के बावजूद बाल अभिरक्षा, मुलाकात के अधिकार और वित्तीय सहायता पर निर्णयों को लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे निरंतर संघर्ष और निराशा होती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण रसद और वित्तीय बोझ डालती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही तनाव में हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परामर्शदाता सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निर्भर करती है। पारिवारिक न्यायालयों में सुधार के लिए पर्याप्त अवसंरचना और पर्याप्त प्रशिक्षण वाले विशेषज्ञ न्यायाधीश प्रदान करना आवश्यक है। निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सभी पक्षों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायाधीशों, न्यायालय कर्मचारिवृंद और पणधारियों को संवेदनशील बनाना, लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण के साथ-साथ आवश्यक है। महिला न्यायाधीशों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति प्रणाली की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकती है।

सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्री के स्तर पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों को पत्र लिखकर इन मुद्दों को राज्यों और उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया है। इस विषय पर ऐसा अंतिम पत्र 15.07.2023 को भेजा गया था।

****

उपाबंध

'पारिवारिक न्यायालय 'के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4345 जिसका उत्तर तारीख 20.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (31.10.2024 तक)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**कार्यरत पारिवारिक न्यायालय**
1	आंध्र प्रदेश	14
2	अंदमान निकोबार	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	7
5	बिहार	39
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	28
8	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	0
9	दिल्ली	30
10	गोवा	0
11	गुजरात	49
12	हरियाणा	30
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू-कश्मीर	4
15	झारखंड	32
16	कर्नाटक	41
17	केरल	37
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	64
21	महाराष्ट्र	51
22	मणिपुर	4
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नगालैंड	2
26	ओडिशा	30
27	पुडुचेरी	2
28	पंजाब	33
29	राजस्थान	50
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	40
32	तेलंगाना	23
33	त्रिपुरा	9
34	उत्तर प्रदेश	189
35	उत्तराखंड	27
36	पश्चिमी बंगाल	5
	कुल	**850**

****